


24/3/25

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक न्यायालय विधि 2025 / 42033 दिनांक 13-02-2025 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से पत्रावलियों उपखण्ड यानामि 24/3/25 को प्राप्त है। सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा को पत्रावली वाद से / प्रार्थना सं. 146/25 को प्राप्त किया जाकर पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पंचकारान की सुनवाई हेतु दिनांक 28/6/25 को पेश हो

सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

प्रार्थना



क्रि. नमा

25/6/25

श्रीमानग पुरा 777

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में दिनांक 13/2/25 को प्राप्त कास्तकारी अधिनियम 1956 का धारा 53, 54, 55, 57, 183, 184 एवं 252 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर सवाईपुर की पत्रावलिया अंतर्गत होकर वास्ते सुनवाई तलख किया जाकर कार्यवाही की जाती है। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतर्गत उक्त पत्रावलियों का सम्यक रूप में दिनांक 25/6/25 को प्राप्त है। अंतर्गत पत्रावली वाद से सुनवाई हेतु दिनांक 25/6/25 में तैरित न्याय प्रदान की जा रही है। अंतर्गत पत्रावली वाद से सुनवाई हेतु दिनांक 25/6/25 का न्यायालय के आदेशानुसार पंचकारान की सुनवाई हेतु दिनांक 28/6/25 को पेश हो

श्रीमानग पुरा 777

उकरण जालगीठा नवा अन्तर्गत धारा 148 क सी पी सी सजा ठीक धारा 151 सी पी सी कैबिनेट जालगीठा पत्र क्रमा क्रिमा 108 क के अनुसार कैबिनेट जालगीठा पत्र क्रमा क्रिमा 3 माह होनी एवं विचाराधीन जालगीठा पत्र के लगभग 9 वर्ष पुनः लेनी में कोई कार्रवाही सम्भव नहीं है। जालगीठा पत्र विधिक रूप से विषमवर्ती हो जाने से खारिज किता जाता है। निधि करे अवलात मुताला जालगीठा पत्रावली फौजल शुमार टोका दाखिलदस्ताही तथा नष्टन से कम है।

25/6/25

सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा